हमेशा इज्जतदार लोगों की इज्जत करना सीखें।
– अज्ञात

किसानों की नाराजगी

ये तीनों अध्यादेश अहम हैं और कृषि के क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिनकी लंबे समय से जरूरत बताई जाती रही है। लेकिन अगर इन बदलावों को लेकर किसान आशंकित दिख रहे हैं तो वह भी अकारण नहीं है।

अनिल शर्मा।।

पिछले सप्ताह हरियाणा में किसान कोरोना संबंधी रोकथाम की परवाह न करते हुए आंदोलन में उतर आए। इससे पहले पंजाब में किसानों का धरना चल रहा था और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके जमावड़े देखने को मिल रहे हैं। किसानों की नाराजगी उन तीन अध्यादेशों को लेकर है जो पांच जून से लागू किए गए और इस मानसून सत्र के दौरान संसद में जिन्हें विधेयक की शक्ल में पेश किया जाना है। इन अध्यादेशों को जारी करते समय सरकार ने इन्हें किसानों के हित में बताया था। कहा गया कि इनसे किसानों के ऊपर लगी बंदिशें खत्म होंगी और अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने में उन्हें आसानी होगी। लेकिन आंदोलन में उतरे किसानों का कहना है कि ये अध्यादेश मंडी समिति की मौजूदा व्यवस्था के तहत उन्हें हासिल संरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कानून की शक्ल देने के बजाय वापस ले लिया जाना चाहिए।

इनमें एक अध्यादेश मंडी के बाहर कहीं भी कृषि उपज बेचने की इजाजत देता है तो दूसरा आवश्यक वस्तुओं की सूची में संशोधन करके अनाज, दाल, तेल आदि चाहे जितनी भी मात्रा में खरीदने और भंडारण करने की छूट देता है। तीसरे अध्यादेश से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता साफ किया गया है। ये तीनों अध्यादेश अहम हैं और कृषि के क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिनकी लंबे समय से जरूरत बताई जाती रही है। लेकिन अगर इन बदलावों को लेकर किसान आशंकित दिख रहे हैं तो वह भी अकारण नहीं है। समझना होगा कि अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेचने की आजादी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देती। सरकार को वह गारंटी संसद में लाए जा रहे विधेयकों में स्पष्ट प्रावधानों के जरिये देनी होगी। जहां तक अनाज की खरीद और भंडारण पर से रोक हटाने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर बढ़ने का सवाल है तो ये दोनों चीजें अतीत के हमारे कड़वे अनुभवों से जुड़ी हैं।

तमाम अध्ययन बताते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1943 में पड़ा बंगाल का भीषण अकाल, जिसमें करीब 30 लाख लोग भूख से तड़प–तड़प कर मरने को मजबूर हुए थे, उत्पादन की कमी का परिणाम नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाली जमाखोरी का नतीजा था। कोरोना के इस डरावने दौर में भी अगर हालात हद से ज्यादा न बिगड़ने का भरोसा बना हुआ है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण अन्न के हमारे भरे हुए भंडार हैं जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं। जरूरत पड़ने पर कभी भी उनका इस्तेमाल आम लोगों के हक में किया जा सकता है। बड़े व्यापारियों को अनाज खरीदकर जमा कर लेने की छूट दे देने के बाद यह सहूलियत हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमारी यादें नील की खेती के दौर से जुड़ी हुई हैं। स्वाभाविक है कि आम किसान का मन आशंकित होगा। तीनों अध्यादेश लागू होने के तीन महीने बाद किसानों की ये आशंकाएं सामने आ रही हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद में इन पर बहस के बाद सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।

मंत्रोच्चारण की ध्वनि

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। दूर से ही मंत्रोच्चारण की ध्वनि कानों में आने लगती है। श्रीअमरनाथ का मंदिर वस्तुतः एक प्राकृतिक गुफा है, जो पचास फीट लंबी, पचपन फीट चौड़ी और पैंतालीस फीट ऊँची है। इसकी बाईं ओर अमर गंगा बहती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लोग अमर गंगा में स्नान करते हैं। गुफा के भीतर जाने पर पचास फीट तक सीधा और फिर टेढ़ा–मेढ़ा मार्ग है। गुफा के भीतर शीत बहुत अधिक है। गुफा में दाईं ओर शिव का प्रतीक पाँच फीट का शिवलिंग है, बर्फ–सा श्वेत, नहीं सचमुच बर्फ का बना हुआ। इसके बाईं ओर पार्वती का प्रतीक छोटा हिमखंड है और दाईं ओर का हिमखंड गणेश का प्रतीक है। ये लिंग चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ते और चंद्रमा के घटने के साथ घटते हैं। श्रावण और भाद्रपद की पूर्णिमाओं के दिन ये सबसे बड़े आकार में होते हैं।

संपादकीय

टिड्डी दलों का हमला

केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम पहले जमा कराने के प्रावधान के कारण राज्यों पर काफी बोझ बढ़ा है। रबी की फसल के सीजन में बिहार को उसके कृषि बजट का लगभग 25 प्रतिशत सिर्फ बीमा प्रीमियम पर खर्च करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार का प्रीमियम उसके कृषि बजट का लगभग 60: है। कोरोना संकट और लॉकडाउन जैसे झंझावातों के बीच मात्र कृषि क्षेत्र का जीडीपी ग्रोथ संतोषप्रद है। सभी कोर सेक्टरों की गिरावट चिंताजनक है। 2016 बीमा वर्ष में जहां 4.02 करोड़ किसान बीमा कवर में शामिल थे, वहीं खरीफ में यह संख्या 3.77 करोड़ रह गई। अगले वर्ष 2018 में 2.17 करोड़ किसानों ने इस सुविधा का लाभ लेने का फैसला किया और 2019 में यह संख्या और घटकर 2.02 करोड़ पर सिमट गई। कई राज्य सरकारों द्वारा इस योजना से हाथ खींच लिए जाने के कारण इसकी बुनियादी उपयोगिता पर ही प्रश्नचिह्न लग गए हैं। गुजरात, पंजाब, बिहार और तेलंगाना की सरकारों ने इससे कहीं आकर्षक योजना अपने प्रांतों में लागू कर दी है। किसान और कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। खरीफ की फसल के बंपर उत्पादन के शुभ समाचारों के बीच टिड्डी दलों द्वारा उत्तर–पश्चिम भारत में कहर बरपाने की खबर है, जिसकी वजह से किसानों के चारे समेत तिलहन, दलहन की कई फसलें चौपट होने का अनुमान है। दुर्भाग्यवश टिड्डी प्रकोप से बर्बादी बीमा कवर से बाहर है। आशा है कि सरकारें इसे भी आपदा मानकर बीमा योजना का हिस्सा बनाएंगी।

बीमा कंपनियों के सभी टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड आदि राज्य भी इस अनुबंध से स्वयं को मुक्त कर चुके हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा

केसी त्यागी।।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएफबीवाई) से अलग अपने प्रांत के लिए नई योजना लॉन्च की है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों को मुफ्त बीमा कवर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किसानों की दिक्कतों को कम करते हुए बिना आवश्यक प्रमाणपत्र के यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बीमा कंपनियों के सभी टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड आदि राज्य भी इस अनुबंध से स्वयं को मुक्त कर चुके हैं। लगभग सभी राज्य सरकारों ने निजी बीमा कंपनियों की मनमानी से क्षुब्ध होकर ये कदम उठाए हैं।

बेमौसम बरसात, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इसका लाभ कोई भी किसान उठा सकता है, पर कर्ज लेने वाले किसानों के लिए इससे जुड़ना अनिवार्य है। इस योजना में प्रीमियम राशि सभी खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5 प्रतिशत रखी गई है। शेष प्रीमियम राशि के

भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, हालांकि उसने स्वयं ही इसके लिए आवश्यक राशि 8800 करोड़ रुपये आंकी थी। सरकारें समय–समय पर फसल बीमा की योजनाएं लागू करती रही हैं। पहली बार 1973 कृषि बीमा वर्ष में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में ही इसका प्रयोग किया गया। वर्ष 1985–86 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए इसे लागू कर दिया गया। इस दौरान बीमा योजना में बदलाव भी होते रहे। सभी योजना में प्रीमियम दरें ज्यादा होती थीं और सभी योजनाएं क्षेत्र आधारित थीं। इस दृष्टि से 2016 में घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निस्संदेह प्रभावी है। इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमिटी में बैंक अधिकारी, नाबार्ड के सदस्य, कृषि अधिकारी और किसान प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बीमित राशि की गणना जिले में सड़कों की स्थिति, यातायात के साधन, जमीन की उर्वरता, उसकी कीमत, सिंचाई व्यवस्था और श्रम लागत को ध्यान में रखकर की जाती है।

पहले की सभी योजनाओं में सरकारें अपनी हिस्सेदारी दावों के निपटारे के वक्त ही देती थीं, जो कभी समय पर नहीं होता था। पीएफबीवाई के तहत केंद्र और राज्य सरकार को प्रीमियम में हिस्सा देना होता है। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत किसान अपनी फसल का बीमा करा पाते हैं। केंद्र सरकार की सहयोग राशि वर्षा आधारित खेती पर 30 प्रतिशत और सिंचित भूमि के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है। आश्चर्य की बात है कि इतनी ठोस व्यवस्था के बावजूद पिछले 4 वर्षों से फसल बीमा योजना में बीमित किसानों की संख्या कम हो रही है और कवर होने वाली खेती का दायरा घटता जा रहा है। प्रीमियम के रूप में सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के मुनाफे में लगातार वृद्धि जारी है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की सिर्फ एक बीमा कंपनी ही इस क्षेत्र में कार्यरत है। बाकी 10 कंपनियां निजी क्षेत्र से संबंधित हैं।

प्रथम बीमा वर्ष के आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2016–17 में कंपनियों को 21,892 करोड़ रुपये बतौर प्रीमियम मिले, जबकि मात्र 16,659 करोड़ क्लेम किए गए।

सूडोकु नवताल-5475

मध्यम

			1					6
7		2		5				9
		4			2	7	5	
5	7				9		1	8
				6				
6	1		3				2	4
	5	1	9			8		
2				8		9		1
9					3			

Jagrutidaar.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5474 का हल

1	9	3	2	4	6	5	8	7
4	7	2	5	1	8	3	6	9
6	5	8	7	3	9	1	2	4
3	8	9	4	5	1	2	7	6
2	4	7	6	9	3	8	1	5
5	1	6	8	7	2	4	9	3
8	2	4	9	6	5	7	3	1
7	6	1	3	2	4	9	5	8
9	3	5	1	8	7	6	4	2

अपना ब्लॉग

क्लेम किसानों को नहीं मिला

मोहन। जाहिर है, किसानों के मुकाबले बीमा कंपनियां अधिक मुनाफे में रहीं। वर्ष 2020–21 के लिए खरीफ फसल की बोआई हो चुकी है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पिछले खरीफ वर्ष 2019–20 का क्लेम किसानों को नहीं मिला है। नुकसान का दावा करने वाले मात्र 50 प्रतिशत किसान ही अब तक क्लेम हासिल कर पाए हैं। प्रमुख फसलों जैसे चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास, गेहूं, जौ, तिलहन आदि उपज का उचित और सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। सीमित समय में हर वर्ष 70 लाख सीसीई कराना नामुमकिन सा है। इसके लिए मैनपावर की भी काफी कमी है। दावा भुगतान में देरी होने का मुख्य कारण यही है। फसल बीमा द्वारा कवर किसानों की संख्या में इन वर्षों में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि हो पाई है, जबकि फसल बीमा के नाम पर कंपनियों को चुकाई गई प्रीमियम राशि में 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।